न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 22/ 2018 जिला सीकर

सन्मति कुमार पुत्र स्व. श्री झुमरमल, जाति जैन, निवासी ग्राम धोद, तहसील धोद, जिला सीकर हाल निवासी सी–25, विवेक विहार, फैज–1, नई दिल्ली।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र सुरेश कुमार,
2. श्री कमल कुमार पुत्र सुरेश कुमार जैन, जाति महाजन, निवासी ग्राम धोद, तहसील धोद जिला सीकर।
3. श्री रमेश कुमार पुत्र स्व. श्री कपूरचन्द,
4. श्री संतोष कुमार पुत्र स्व. श्री कपूरचन्द,
5. श्रीमति मनोरमा धर्मपत्नी स्व. कपूरचन्द,
   जैन समस्त जाति महाजन, जाति महाजन, निवासी ग्राम धोद, तहसील धोद जिला सीकर।
6. श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम रानोली, तहसील दांतारामगढ, जिला जयपुर।
7. उप तहसीलदार पलसाना, तहसील पलसाना, जिला सीकर।
8. पटवारी हल्का रेवासा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
9. उप पंजीयक पलसाना, तहसील पलसाना, जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर दिनांक 12.3.2018 (अपील संख्या 54/2014 उनवानी सन्मति कुमार बनाम महेन्द्र कुमार व अन्य) जिसके द्वारा अपील को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 1758 टेम्परिंग दिनांक 3.9.2014 उप–तहसीलदार पलसाना को यथावत रखा गया।

अपील संख्या 23/ 2018 जिला सीकर

सन्मति कुमार पुत्र स्व. श्री झुमरमल, जाति जैन, निवासी ग्राम धोद, तहसील धोद, जिला सीकर हाल निवासी सी–25, विवेक विहार, फैज–1, नई दिल्ली।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र सुरेश कुमार,
2. श्री कमल कुमार पुत्र सुरेश कुमार
   समस्त जैन, जाति महाजन, निवासी ग्राम धोद, तहसील धोद जिला सीकर।
3. श्री रमेश कुमार पुत्र स्व. श्री कपूरचन्द,
4. श्री संतोष कुमार पुत्र स्व. श्री कपूरचन्द,
5. श्रीमति मनोरमा धर्मपत्नी स्व. कपूरचन्द,
   जैन समस्त जाति महाजन, जाति महाजन, निवासी ग्राम धोद, तहसील धोद जिला सीकर।
6. श्री प्रकाशचन्द पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद मील, जाति जाट, निवासी ग्राम रानोली, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
7. श्री मोहम्मद युसुफ पुत्र श्री फैजूखान चौहान, जाति मुस्लिम, निवासी देव गैस गोदाम के पीछे, गांधी नगर सीकर, तहसील व जिला सीकर।
8. श्री पदमचन्द पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन, जाति महाजन, निवासी ग्राम रैवासा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
9. उप तहसीलदार पलसाना, तहसील पलसाना, जिला सीकर।
10. पटवारी हल्का रेवासा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
11. उप पंजीयक पलसाना, तहसील पलसाना, जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर दिनांक 12.3.2018 (अपील संख्या 56/2014 उनवानी सन्मति कुमार बनाम महेन्द्र कुमार व अन्य) जिसके द्वारा अपील को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 1760 टेम्परिंग दिनांक 3.9.2014 उप–तहसीलदार पलसाना को यथावत रखा गया।

Scanned by CamScanner

अपील संख्या 24/2018 जिला सीकर

सन्मति कुमार पुत्र स्व. श्री झुमरमल, जाति जैन, निवासी ग्राम धोद, तहसील धोद, जिला सीकर हाल निवासी सी–25, विवेक विहार, फैज–1, नई दिल्ली।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र सुरेश कुमार,
2. श्री कमल कुमार पुत्र सुरेश कुमार
3. श्री रमेश कुमार पुत्र स्व. श्री कपूरचन्द,
4. श्री संतोष कुमार पुत्र स्व. श्री कपूरचन्द,
5. श्रीमति मनोरमा धर्मपत्नी स्व. कपूरचन्द,
   जैन समस्त जाति महाजन, जाति महाजन, निवासी ग्राम धोद, तहसील धोद जिला सीकर।
6. मोहम्मद नदीम पुत्र हाजी मोहम्मद यासीन, जाति मुस्लिम, निवासी मोहल्ला इस्लामपुर, वार्ड नं. 44, अकबरी मस्जिद के पास, फतेहपुर रोड सीकर।
7. उप तहसीलदार पलसाना, तहसील पलसाना, जिला सीकर।
8. पटवारी हल्का रेवासा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
9. उप पंजीयक पलसाना, तहसील पलसाना, जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर दिनांक 12.3.2018 (अपील संख्या 55/2014 उनवानी सन्मति कुमार बनाम महेन्द्र कुमार व अन्य) जिसके द्वारा अपील को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 1759 टेम्परिंग दिनांक 3.9.2014 उप–तहसीलदार पलसाना को यथावत रखा गया।

उपस्थित –

1 श्री संजय शर्मा, वकील अपीलान्ट
2 श्री हरलाल सिंह, वकील रेस्पोंडेन्ट
3 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक –16.08.2022

यह तीनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 12.03.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। तीनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन तीनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है ।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 556 रकबा 5.78 हैक्टेयर वाकै ग्राम धोद, तहसील धोद, जिला सीकर में स्थित है तथा भूमि खसरा नम्बर 2038/3341 रकबा 0.15 हैक्टे0 2039/3342 रकबा 0.06 हैक्टे0 2040 रकबा 1.95 हैक्टै0 2041 रकबा 0.60 हैक्टे0, 2042 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.52 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2065/3355 रकबा 0.15 हैक्टे0 2066/3354 रकबा 0.64 हैक्टे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2065 रकबा 2.78 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम रेवासा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि हिन्दु अविभाजित परिवार की संयुक्त आय से अपीलांट के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री झुमरमल जी के द्वारा क्रय की सम्पत्ति है जिस पर अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारियों के समय से ही निरन्तर एवं निर्बाध संयुक्त रूप से साधिकार काबिज हो होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 12.03.2018 पारित किया गया कि अपीलांट द्वारा अन्य किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने संबंधी कोई तथ्य न्यायालय हाजा को प्रकट नहीं किया है। अपीलांट अपीलाधीन नामान्तरकरण में तृतीय पक्षकार है। अपीलाधीन नामान्तकरण में तृतीय पक्षकार होने के कारण अपीलांट को किसी प्रकार की राहत प्रदान किया जाना संभव नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति आवेदन इसी स्तर पर स्वीकार किया जाता है। अगर अपीलांट का किसी प्रकार का हित निहित हो तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश दिये गये।

Scanned by CamScanner

अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2018 से व्यथित होकर उसके खिलाफ सन्मति कुमार अपीलान्ट्स द्वारा यह पृथक पृथक तीन अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर दिनांक 12.03.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 556 रकबा 5.78 हैक्टेयर वाकै ग्राम धोद, तहसील धोद, जिला सीकर में स्थित है तथा भूमि खसरा नम्बर 2038/3341 रकबा 0.15 हैक्टे0 2039/3342 रकबा 0.06 हैक्टे0 2040 रकबा 1.95 हैक्टै0 2041 रकबा 0.60 हैक्टे0, 2042 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.52 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2065/3355 रकबा 0.15 हैक्टे0 2066/3354 रकबा 0.64 हैक्टे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2065 रकबा 2.78 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम रेवासा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि हिन्दु अविभाजित परिवार की संयुक्त आय से अपीलांट के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री झुमरमल जी के द्वारा क्रय की सम्पत्ति है जिस पर अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारियों के समय से ही निरन्तर एवं निर्बाध संयुक्त रूप से साधिकार काबिज हो होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 अपने हकपूर्वाधिकारी के साथ निरन्तर संयुक्त परिवार में ही निवास करते चले आ रहे हैं, अपीलांट स्वंय तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता सुरेश कुमार तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 4 के पिता व 5 के पति कपूरचन्द ने उपरोक्त वर्णित भूमियों एवं अन्य चल–अचल सम्पत्तियों को आपसी सहमती से संयुक्त परिवार की आय से क्रय किया है तथा आपसी सहमती से कुछ भूमियों को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता सुरेश कुमार तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 4 के पिता व 5 के पति कपूरचन्द के नाम से तथा कुछ भूमियों को अपीलांट के नाम से क्रय की गई थी तथा कभी अपीलांट एवं इसके भ्रातागण सुरेश कुमार व कपूरचन्द के दूर–दराज व्यापार के सिलसिले में बाहर रहने के कारण मौके पर मौजूद परिवार का कोई भी व्यक्ति भाई या भजीजा आवश्यकतानुसार उक्त भूमियों को संयुक्त परिवार की आय से क्रय कर लेता था, इस प्रकार से अपीलांट व उसके भ्रातागण तथा भतीजों द्वारा उक्त भूमियों को क्रय किया गया था। दिनांक 10.9.1983 को अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारीयों द्वारा संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों का बंटवारा कर एक पारिवारिक समझौता पत्र आपसी सहमती से सादा कागज पर तहरीर किया गया जिसके अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियॉ अपीलांट को दे दी गई और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने तथा इनके हकपूर्वाधिकारी सुरेश कुमार व कपूरचन्द ने उक्त भूमियों पर से अपना कब्जा हटा लिया तथा कब्जा अपीलांट को संभलाया गया इसके पश्चात से अपीलांट अकेला ग्राम रैवासा व धोद की उपरोक्त वर्णित भूमियों की देखरेख एवं काश्त करता चला आ रहा है, तत्समय उक्त भूमियां उबड–खाबड व अनउपजाउ थी, जिसको अपीलांट ने अपने धन एवं श्रम से उपजाउ बनाकर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त पारिवारिक बंटवारानामा के आधार पर व्यवहार न्यायालय माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश क्रम संख्या–1 जिला सीकर के समक्ष वाद एव ईजराय की कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त वाद में जो लिखावट पेश की गई है, उससे यह सिद्ध एवं प्रमाणित होता है कि जैन परिवार व उसके कुटुम्ब व समाज में इस तरह की लिखावट को ही आधार माना जाता है। उक्त लिखावट पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता श्री कपूरचन्द व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के पिता तथा 5 के पति श्री कपूरचन्द तथा अपीलांट व इसके अन्य भ्रातागण ज्ञानचन्द, श्रीपाल जैन के हस्ताक्षर है जिसमें उक्त समस्त पारिवारिक सदस्यों ने उपरोक्त वर्णित ग्राम रैवासा व धोद में स्थित भूमि वादग्रस्त को बंटवारा व पारिवारिक समझौते के अनुसार अपीलांट सन्मति कुमार को दिया जाना स्वीकार किया है। ग्राम रैवासा व ग्राम धोद की भूमि खसरा नम्बर 586 रकबा 5.78 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा तथा ग्राम रैवासा की भूमियों में 2/3 हिस्सा व कमल कुमार व महेन्द्र कुमार की भूमियों का संपूर्ण हिस्सा बाहमी बंटवारे के अनुसार अपीलांट को प्राप्त हुआ है, तब से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से अपीलांट ही भूमि वादग्रस्त पर साधिकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट ने उपरोक्त वर्णित भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की विधिवत धोषणा करवाने हेतु नियमित वाद एवं आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 3.9.2014 को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 3.9.2014 को अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर भूमि वादग्रस्त का बेचान एवं हस्तान्तरण ना करने एवं मौके व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा आदेश जारी कर रेस्पोडेन्टस एवं अन्य खातेदारों को पावंद फरमा दिया जो आज दिनांक तक यथावत है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश की जानकारी दिनांक 3.9.2014 को ही रेस्पोडेन्टस को दिये जाने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 ने रेस्पोडेन्टस संख्या 9 व 10 से साजिश कर अपने निजि स्वार्थों की पूर्ति हेतु निषेधाज्ञा आदेश की अवेहलना करते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1758, 1759 व 1760 दिनांक 5.9.2014 को स्वीकृत किया जिसे फिर टेम्परिंग कर 3.9.2014 अंकित किया गया जो प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं निरस्त किये जाने योग्य होने के कारण उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपना न्यायिक विवेक लगाये बिना ही विधि के समस्त सुस्थापित सिद्धान्तों एवं न्यायिक दृष्टान्तों के विपरीत रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 12.3.2018 को अपील निरस्त फरमा दी। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना ही अपील साथ धारा 96 का आवेदन प्रस्तुंत नहीं होने को आधार बनाकर कतई अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार नामान्तरकरण संख्या 1758, 1759, 1760 को यथावत रखे जाने का कतई परवर्स निर्णय पारित करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर गंभीर त्रुटि कारित की है उल्लेखनीय है कि सहवन से अपील के साथ अलग से आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत नहीं किया जो कि अपीलांट के द्वारा नियुक्त किये गये अधिवक्ता की भूल है जबकि अपील मीमो में उक्त तथ्य को पूर्णतया स्पष्ट किया गया है तथा अपील में उक्त तथ्य को पूर्णतया स्पष्ट किया गया है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के परिवार की वंशावली अंकित की गई है जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस के मध्य क्या सम्बन्ध है तथा किस वजह से अपीलांट अपीलाधीन नामान्तरकरण से प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार है एवं किस वजह से उसे नामान्तरकरण को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त है, उक्त आवेदन प्रस्तुत किये गये जाने की आवश्यकता एवं कानूनी बाध्यता की अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी उक्त तथ्य कानूनी है जो कि उसके अधिवक्ता की भूल है जिसका खामियाजा पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए किन्तु फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को कतई नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः तीनों अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर दिनांक 12.3.2018 एवं उप–तहसीलदार पलसाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1758, 1759, 1760 टेम्परिंग दिनांक 3.9.2014 निरस्त किया जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस प्रस्तुत करते हुये बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि प्रस्तुत अपील में अपीलांट अपीलाधीन नामांतरकरण में पक्षकार नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर, विभिन्न उच्च न्यायालयों एवम माननीय सर्वोच्च द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के माध्यम से यह कानूनी स्थिति स्पष्ट की गई है कि जो व्यक्ति किसी आदेश या डिक्री में पक्षकार नहीं है। वह अपील में बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये बिना पक्षकार नहीं बन सकता, ऐसी कमी के साथ प्रस्तुत अपील अयोग्य होती है। स्वीकृत रूप से प्रस्तुत अपील के अपीलांट द्वारा भी अपील प्रस्तुति निमित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही अपील प्रस्तुति की अनुमति प्रदान किये जाने निमित किसी तरह की कोई प्रार्थना अपील मीमो में नहीं की गयी। कानूनन जो व्यक्ति जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करता है और वह यदि उस आदेश में पक्षकार नहीं है तो उसे धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के तहत अपील प्रस्तुत करने का आवेदन पत्र पेश करना होता है। अपीलांट द्वारा इस तरह का कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण से प्रस्तुत अपील विधि द्वारा वर्जित है और प्रथम दृष्टतया ही खारिज किये जाने योग्य है। आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत अपील का अपीलांट अपीलाधीन नामांतरकरण में पक्षकार नहीं होने तथा अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपील विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के समक्ष एवं अन्य किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा हो तो उसका उल्लेख अपील मीमों में नहीं किया है जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के समक्ष प्रस्तुत वाद दिनांक 03.09.2014 की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है इस प्रकार अपीलांट द्वारा अन्य किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने संबंधी कोई तथ्य न्यायालय हाजा को प्रकट नहीं किया है। अपीलांट अपीलाधीन नामांतरकरण में तृतीय पक्षकार है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में तृतीय पक्षकार होने के कारण अपीलांट को यह अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

सीकर द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः तीनों अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे । विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टान्त भी पेश किये गये :–

(1) आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1443
(2) आर.आर.टी. 2021(1) पेज 19,
(3) आर.आर.टी. 2021(1) पेज 374,
(4) आर.आर.डी. 1993 पेज 44,

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के अधिकारों का मुख्य आधार वर्ष 1981 में कथित रूप से लिखा गया फैमिली सेटलमेंट या पारिवारिक समझौते का दस्तावेज रहा है, जो अनरजिस्टर्ड/अन स्टांप है। जिसके आधार पर अगर अपीलांट के कोई अधिकार बनते हैं तो सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किए जा सकते हैं। इस संबंध में सिविल न्यायालय वाद विचाराधीन भी है। जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर की अपील 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के अभाव में खारिज किए जाने को प्रश्न है। इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि विधिक प्रावधान पालना करने के लिये बनाए गये है। अधीनस्थ न्यायालय में यदि कोई पक्षकार नहीं है तो कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर तथा अनुमति प्राप्त कर पक्षकार बनते हुए अपील पेश कर सकता है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा कोर्ट में आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपील के लिए अनुमति दिया जाना संभव नहीं रहा। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस प्रकरण पर भी लागू होते हैं। नामांतरकरण भरे जाने की दिनांक के सम्बन्ध में अपीलांट का यह कथन रहा है कि नामान्तरकरण संख्या 1758, 1759, 1760 वस्तुतः दिनांक 5.9.14 को स्वीकार किया गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद का दिनांक 3.9.14 को राजस्व रिकॉर्ड एवं भूमि की यथास्थिति रखने का अस्थाई निषेधाज्ञा का आर्डर जारी था जिसकी प्रति दिनांक 4.9.2014 को उपलब्ध करा दी गई थी इसलिये उक्त 05.09.2014 की तारीख को गलत तरीके से बदलते हुए 03.09.2014 की तारीख डाली गई जो रिकॉर्ड टैम्परिंग एवं न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आती है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि यदि न्यायालय की अवमानना एवं किसी तरह की रिकॉर्ड टैम्परिंग की गई है तो उसकी जॉच एवं उस पर अवमानना की कार्यवाही संबंधित न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। यदि अपीलांट को लगता है कि इस तरह का कोई कृत्य किया गया है तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद में इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

<u>अतः आदेश है कि</u> – अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 12.03.2018 को जारी (तीन निर्णय) यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश. पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner